(68)

भारत कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय मा0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी नि 1503-II/16

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 16.5.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.5.16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामखेलावन सोनी पुत्र श्री भगवानदास सोनी निवासी- ग्राम भटनवारा तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

---- निगरानीकर्ता

बनाम

1 मंजीत श्रीवास्तव पुत्र श्री नागेन्द्र श्रीवास्तव

2 सुमन श्रीवास्तव पत्नी श्री नागेन्द्र श्रीवास्तव

निवासीगण- ग्राम भटगवारा, तहसील-उचेहरा, जिला सतना म0प्र0

3 म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक बृत्त लगरगवा तहसील-उचेहरा जिला सतना म0प्र0

---रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 03/07/2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत लगरगवा तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1 यहकि, रेस्पोडेन्टस द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता वास्ते ग्राम भटनवारा की आराजी नम्बर 404 रकबा 0.188 हेक्टेयर के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में सरहदी कृष्को को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया था जिसके पालन में सरहदी कृष्को को कोई नोटिस जारी नही किये गये।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1503-दो/2016

शिवरतन

रामखेलावन विरूद्ध मंजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित **नहीं** । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत लगरगवा तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03-07-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 की सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	